कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

विविध वाद सं0 23/2016–17

श्री रजत कुमार,
पिता स्व0 प्रमेश्वर प्रसाद,
ग्राम– झुमरी तिलैया,
जिला– कोडरमा।

03/8/16	आवेदक श्री रजत कुमार, पिता स्व0 प्रमेश्वर प्रसाद, ग्राम– झुमरी तिलैया, जिला– कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा गुमो, थाना न0 12, खाता न0 540 एवं 352, प्लॉट सं0 5665 एवं 5666, रकबा 1.95 ए0 एवं 17 डी0 भूमि की सरकारी रसीद टुपलाल राम वगै0 एवं जानकी देवी, छमावती देवी के नाम से निर्गत होते आ रहा था। पंजी II फटा होने के कारण राजस्व कर्मचारी के द्वारा मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। आवेदक द्वारा उक्त जमीन का अद्यतन मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव उक्त भूमि के संबंध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माग करें। अभिलेख दिनांक 24.8.16 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, कोडरमा। 03/8/16
24.8.16 30.9.16	अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि स्थानीय जाच के क्रम में पाया गया कि उक्त भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है। मौजा गुमो, थाना न0 12, खाता न0 352, रकवा 0.17 ए0 का जमाबन्दी पंजी II के पेज न0 199/3 पर टुपलाल राम वगैरह, खाता न0 540, रकबा 0.17 ए0 का जमाबन्दी पंजी II के पेज न0 253/3 पर कलावती देवी वगै0 एवं खाता न0 540 एवं 352, रकवा 1.95 ए0 भूमि की जमाबन्दी पंजी II के पेज न0 252/3 पर जानकी देवी, छमावती देवी के नाम से दर्ज था। उक्त भूमि रैयती खाते की है। उक्त भूमि की जमाबन्दी पंजी II वर्षों पुराना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस कारण जमाबन्दी स्पष्ट नही हो पा रहा है। स्थल जाच के क्रम में श्री राम प्रसाद यादव, श्री प्रमोद कुमार, श्री अनिल लोहानी, श्री अनिल लोहानी वगैरह से पुछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन पर जमाबन्दीधारक का दखल कब्जा है। किसी के द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं कराया गया है। आवेदक के द्वारा लगान रसीद 248373, 248374 दि0 17.09.94, 240541 दि0 28.02.89, 607648 दि0 18.12.85, 237715 दि0 08.02.79 एवं 679796 दि0 18.01.77 वगैरह की छायाप्रति संलग्न किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबन्दी पंजी II पर जानकी देवी, छमावती देवी, टुकनलाल राम वगैरह के नाम से दर्ज था। उक्त लगान रसीद सं0 248373, 248374 दि0 17.09.94 को रसीद भण्डार पंजी से मिलान करने पर भण्डार पंजी में दर्ज पाया गया।

अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार मौजा गुमो, थाना नं0 12, खाता नं0 540, प्लॉट सं0 5665 रकवा 0.04 ए0 एवं खाता नं0 352 प्लॉट नं0 5666 में 0.52 ए0 वर्तमान में परती है, जिसपर आवेदक का दखल कब्जा है। स्थल पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं किया गया। संलग्न कागजातों एवं क्षमावती देवी के शपथ पत्र सं0 18 दिनांक 20.09.16 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्तमान में उक्त जमाबन्दी में खाता नं0 540 एवं 352, प्लॉट सं0 5665 एवं 5666 में मात्र 56 डी0 जमीन बचा हुआ है।

उल्लेखनीय है कि फटे हुये पंजी ।। का नया जमाबन्दी खोलने हेतु अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक 140/रा0 दिनांक 02.02.16 से दिशा निर्देश प्राप्त है।

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार खाता नं0 540, प्लॉट सं0 5665 रकवा 0.04 ए0 एवं खाता नं0 352 प्लॉट नं0 5666 में 0.52 ए0 पर आवेदकगण का दावा स्पष्ट है। राजस्व अभिलेखों की त्रुटि के लिए रैयत के हित को प्रभावित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्व हित में संबंधित भू-भाग से राजस्व की वसूली राज्य हित में है। ऐसे मामले में अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा जमाबन्दी कायम करने का आदेश प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में मौजा गुमो, थाना नं0 12, खाता नं0 540 प्लॉट सं0 5665 रकवा 0.04 ए0 एवं खाता नं0 352 प्लॉट नं0 5666 में 0.52 ए0 कुल रकवा 0.56 ए0 भूमि की जमाबन्दी जमाबंदीधारक जानकी देवी छमावती देवी वगैरह के नाम से कायम करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व कर्मचारी अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

Scanned with CamScanner